



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20636/2026

अंकित तंवर उर्फ ताने

.....आवेदक

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: अतुल कुमार तिवारी

विपक्षी पक्ष(पक्षों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

1. आवेदक के वकील और उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से उसे थाना खरखौदा, जनपद मेरठ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 31 वर्ष 2026, अंतर्गत धाराएं 140(4), 115(2), 352, 351(2), 351(3) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के वकील ने कहा कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम था और न ही घायल व्यक्ति ने 180 भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में उसका नाम लिया। मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करती है। पीड़ित/घायल व्यक्ति ने मौजूदा आवेदक की कोई खास भूमिका नहीं बताई है। इस मामले के अलावा, आवेदक का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें तीन मामले शामिल हैं; इस बारे में जमानत अर्जी के समर्थन में दायर हलफनामे के पैरा 24 में जानकारी दी गई है। वह 19.03.2026 से जेल में बंद है। इन हालात को देखते हुए, यह दलील दी गई कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत मिलने पर, वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की मांग का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक-अंकित तंवर उर्फ़ टने, जो ऊपर बताए गए मामले में शामिल है, उसे संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर शक है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे कोर्ट या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देगा कि जब गवाह कोर्ट में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं नहीं किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट इसे जमानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता (तत्स्थानी धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) अगर आवेदक ट्रायल के दौरान जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (इसके बराबर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (इसके बराबर भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) केस शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 313 (इसके बराबर भारतीय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो ट्रायल कोर्ट इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा ज़मानत रद्द की जा सकती है।

(माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-1)

23 जून, 2026

आशुतोष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”